

न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान - सरकार बनाम नरेन्द्र कुमार शर्मा

मुकदमा न. 52/17/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

05/12.2017

पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र गिरधारीलाल शर्मा मैसर्स- शर्मा आईसकीम एण्ड पेप्सी, पतासियों की हवेली के पास वार्ड नं. 26/27 स्टेशन रोड फतेहपुर शेखावाटी उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ- 824 वस्तु मिडियम फ़ैट फ़ोजन डेजर्ट वनीला का नमूना लिया गया। राज्य केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिस बॉन्ड/अमानक का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी नरेन्द्र कुमार शर्मा के 5000/- रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो

निर्णय सुनाया गया।

3/12/17